

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 131/2022

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय 112, नागारथ-पेटे, जे.सी.रोड बेंगलुरु शाखा
कार्यालय-केनरा बैंक, दौसा-गा दौसा राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी सुनील
कुमार माथुर

बनाम



...प्रार्थी

1. **Sh. Jai Ram Meena s/o Sh. Prabhu Narayan Meena**
Address- Village Rajpura Gram Panchayat Jopada Tehsil &
Distt. Dausa Rajasthan
(Borrower & Mortgagor)
2. **Sh. Har Lal Meena s/o Sh. Ram Sahay Meena**
Address- Village Chawandeda Tehsil & Distt. Dausa
Rajasthan
(Guaranter)

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 23.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी केनरा बैंक शाखा
दौसा-गा ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 05,50,000/- (रूपये पांच लाख पचास हजार
मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय
ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में
हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में
असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम
की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के
बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत
रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of the security
interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।



जिला कलेक्टर, दौसा

.....निरंतर 2 पर



अधिवक्ता प्रार्थी केनरा बैंक शाखा दौसा-11 को सुना गया। हमने प्रार्थी केनरा बैंक शाखा दौसा-11 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी केनरा बैंक शाखा दौसा-11 को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री जय राम मीणा पुत्र श्री प्रभूनारायण मीणा की संपत्ति जो कि ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत जोपाडा, पंचायत समिति, तहसील व जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 206.25 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी केनरा बैंक शाखा दौसा-11 को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा